न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 163/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

शिवांग माथुर पुत्र श्री एस0सी0 माथुर, निवासी–7/7 शिवम विहार, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून।

बनाम

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कलेक्टर, देहरादून, 2. .परगनाधिकारी, विकासनगर, 3. तहसीलदार, विकासनगर जनपद देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री विजय कुमार गुप्ता।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री विनोद कुमार डिमरी जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा नामान्तरण कार्यवाही संख्या–19/2007–08 सरकार बनाम शिवांग माथुर अन्तर्गत धारा–34 भू0रा0अधि0 बावत भूमि खसरा नम्बर–932 एवं 933 (नया नम्बर–923, 924, 992 एवं 1055) कुल क्षेत्रफल–0.154 हे0 मौजा पौंधा तहसील विकासनगर के दिनांक 29–11–2007 से अनिस्तारित एवं लम्बित रहने के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है:–

निगरानीकर्ता/नामान्तरण प्रार्थी द्वारा दिनांक 10–06–2006 को तहसीलदार, विकासनगर जनपद देहरादून के समक्ष विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। तहसीलदार, विकासनगर द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई परन्तु यह कार्यवाही आतिथि तक अनिस्तारित है। तहसीदार न्यायालय की पत्रावली मे आदेश पत्र अनुरक्षित ही नही है जिससे ज्ञात होता है कि कब–कब क्या कार्यवाही हुई। दिनांक 29–11–2007 से पूर्व एक दिन परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी विकासनगर द्वारा कथित रूप से आलोच्य कार्यवाहियाँ की पत्रावली एवं अन्य कई समान कार्यवाही की पत्रावलियां उनके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तद्नुसार आलोच्य कार्यवाही की पत्रावली अन्य पत्रावलियों के साथ दिनांक 29–11–2007 को उनके समक्ष प्रस्तुत हुई। तब से इस पत्रावली के इस न्यायालय द्वारा अभियाचित होने तक यह पत्रावली परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, विकासनगर के स्तर पर लम्बित रही। दिनांक

14–06–2012 को निगरानीकर्ता द्वारा सहायक कलेक्टर, विकासनगर को आलोच्य कार्यवाही के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 23–11–2013 को निम्न आदेश पारित कियाः–

"पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 29–11–2007 के आदेश से विदित है कि तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय से निस्तारण हेतु पत्रावली प्राप्त उल्लेखित है। परन्तु पत्रावली पर तहसीलदार, विकासनगर की कोई ऐसी आख्या उपलब्ध नही है कि जिससे यह ज्ञात हो सके कि पत्रावली किस कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की गई है। पत्रावली पर दाखिल हल्का लेखपाल आख्या अस्पष्ट है। अतः पत्रावली मूल रूप से तहसीलदार, विकासनगर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वो 15 दिन अन्दर पत्रावली पर स्पष्ट व विस्तृत आख्या जांच कर इस न्यायालय को प्रेषित करें।"

तत्पश्चात तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 22–09–2015 प्रेषित की जिसमें यह उल्लेख किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राज्य सरकार के नाम अंकित है अतः नामान्तरण की कार्यवाही तब तक उचित प्रतीत नही होती जब तक मूल खातेदारों / विक्रेतागण के नाम राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां नही हो जाती। उक्त आख्या की प्रस्तुति के उपरान्त भी कार्यवाही परगनाधिकारी / सहायक कलेक्टर, विकासनगर के समक्ष लम्बित रही जबकि नामान्तरण की कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही है जिसमें उच्चतर न्यायालय का हस्तक्षेप निगरानी / अपील अथवा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त ही अनुमन्य हैं निगरानीकर्ता ने क्षुब्ध होकर के नामान्तरण प्रकरण के दीर्घकाल से लम्बित होने से एवं इस सम्बन्ध में अनिश्चितता के दृष्टिगत वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व की बहस को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि एवं अन्य नामान्तरण की कई पत्रावलियां जो कि तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष लम्बित थी वर्ष 2007 में परगनाधिकारी, विकासनगर उठा के लाये जिनमें से निगरानीकर्ता से सम्बन्धित नामान्तरण की पत्रावलियां भी है तब से समस्त नामान्तरण की कार्यवाहियां लम्बित है एवं वर्तमान परगनाधिकारी का कहना है कि उन्हें नही पता कि ये पत्रावलियां उनके पास कैसे आई; परगनाधिकारी ने तहसीलदार, विकासनगर से आख्या प्राप्त की एवं तहसीलदार की आख्या दिनांक 22–09–2015 पत्रावली पर उपलब्ध है; कि सम्भवतः अधीनस्थ न्यायालय की दुविधा वादग्रस्त भूमि के गोल्डन फोरेस्ट की भूमि होने से जनित है ज़बकि मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश एवं मा0 उच्च न्यायालय आदेश से स्थिति स्पष्ट हो गई है; कि मा0 राजस्व परिषद एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी मूल भूमिधर एवं विक्रेतागण के नाम प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में नही की गई है एवं इसी आधार पर आलोच्य नामान्तरण एवं अन्य कई नामान्तरण की पत्रावलियां लम्बित रखकर सम्बन्धित व्यक्तियों को परेशान किया

जा रहा है एवं कि कलेक्टर, देहरादून द्वारा गोल्डन फोरेस्ट की भूमि के सम्बन्ध में की जा रही कथित जांच के आधार पर भी लम्बित नामान्तरण कार्यवाहियों पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है जबकि आलोच्य प्रकरण में गोल्डन फोरेस्ट की भूमि का प्रकरण अन्तर्निहित नही है; कि राजस्व परिषद के राजस्व विभाग के मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी होने के दृष्टिगत निगरानी प्रस्तुत की जा रही ताकि आलोच्य प्रकरणों का विधिसम्मत निस्तारण हो सके। दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व ने तर्क किया कि वर्तमान निगरानियां इसलिए पोषणीय नही है कि वह किसी आदेश के विरूद्ध नही निदेशित है, कि वादग्रस्त भूमि गोल्डन फोरेस्ट से सम्बन्ध रखती है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जांच कलेक्टर, देहरादून द्वारा की जा रही है जिसमें सुनवाई हो रही है एवं जब तक उनपर सुनवाई पूरी नही हो जाती आलोच्य प्रकरण में कार्यवाही सम्भव नही है।

धारा–219 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत वही निगरानी ग्राह्य एवं पोषणीय है जो किसी निस्तारित प्रकरण (case decided) अथवा की आयोजित कार्यवाहियों (proceedings held) के विरूद्ध निदेशित हो। इस धारा के अन्तर्गत अन्तर्वर्ती आदेश के अतिरिक्त अन्य ऐसे आदेशों के विरूद्ध भी निगरानी ग्राह्य होती है जिन्हें निस्तारित प्रकरण की श्रेणी में रखा जा सकता है। स्पष्ट एवं स्वीकार्य रूप से वर्तमान निगरानी किसी अंतिम आदेश अथवा पूर्ण की गई कार्यवाही के विरूद्ध नही प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकट रूप से निगरानी अग्राह्य एवं अस्वीकारणीय है। परन्तु इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस न्यायालय के अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों के मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होने के आधार पर कार्यवाही की अपेक्षा की गई है। इस प्रसंग में धारा–5 भू0रा0अधि0 का प्राविधान महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत राजस्व परिषद को वादों, अपीलों एवं निगरानी के निस्तारण सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अध्याधीन को मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी बनाया गया है अर्थात् न्यायिक मामलों में राजस्व परिषद का नियंत्रण व हस्तक्षेप अपीलीय एवं निगरानी न्यायालय के रूप में ही संभव है अन्यथा नही। उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत वर्तमान निगरानी अग्राह्य एवं अस्वीकारणीय है।

निगरानी की ग्राह्यता एवं पोषणीयता के सम्बन्ध में पूर्व में उल्लिखित स्थिति के उपरान्त भी विद्वान तहसीलदार एवं विद्वान परगनाधिकारी, विकासनगर द्वारा नामान्तरण प्रकरणों को लम्बित रखा जाना नितान्त आपत्तिजनक है। विद्वान परगनाधिकारी, विकासनगर द्वारा नामान्तरण प्रकरण बिना कारण अपने पास मंगाया जाना एवं उसे अकारण लम्बित रखा जाना भी प्रथम दृष्टयाः अत्यन्त खेदजनक एवं निंदनीय है। यदि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रकरण लम्बित रखा जाना अनिवार्य समझा गया तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट एवं सकारण आदेश पारित करना चाहिए था ताकि भुक्तभोगी/क्षुब्ध व्यक्ति को सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष अपील, निगरानी अथवा परिवाद योजित करने का अवसर मिल सकता था परन्तु ऐसा नही किया गया है। विद्वान परगनाधिकारी तो आश्चर्यजनक रूप से तहसीलदार, विकासनगर की आख्या के उपरान्त भी बिना क्षेत्राधिकार तिथि निर्धारित करते रहे

जबकि वे प्रकरण की सुनवाई व निस्तारण कर ही नही सकते थे। इस प्रकार के कृत्य से राजस्व न्यायालयों की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता पर प्रश्न चिह्न लगना स्वभाविक है। तद्नुसार प्रकरण परिषद के प्रशासनिक पक्ष को सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही हेतु अन्तरित किया जाना समीचीन है।

आदेश

निगरानी अग्राह्य होने के दृष्टिगत अस्वीकृत की जाती है परन्तु मूल नामान्तरण प्रकरण तहसीलदार, विकासनगर को उसके समयबद्ध एवं विधिसम्मत निस्तारण के लिए वापस किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर, देहरादून को भी इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वे ऐसे समस्त लम्बित नामान्तरण प्रकरणों का संज्ञान लेकर उनके समयबद्ध निस्तारण हेतु अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करें। इस निर्णय/आदेश की एक प्रति मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद को उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस व इस न्यायालय पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **12–09–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।